नेशन

शशिकला महासचिव पद से बर्खास्त

अन्नाद्रमुक में बड़ा बदलाव, 'अम्मा युग' की वापसी

विशेष संवाददाता

चेन्नै। संयुक्त एआईएडीएमके ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास करके वीके शशिकला को न केवल जनरल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त किया, बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पन्नीरसेल्वम और पलानीसामी धड़े की ओर से मंगलवार को बुलाई गई जनरल काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया।

बैठक में पास हुए प्रस्ताव के बारे में तमिलनाडु के मंत्री आरबी उदयकुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिवंगत अम्मा (जयललिता) ने पार्टी पदाधिकारियों के तौर पर जिनको भी नियुक्त किया था, वे बने रहेंगे। पार्टी अब अविभाजित है और चुनाव चिह्न के तौर पर दो पत्ती वापस लेने की कोशिश करेगी। अस्थाई जनरल सेक्रेटरी पद को खत्म करने पर भी रजामंदी बनी, जिसके साथ ही शशिकला को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उदयकुमार ने बताया कि जयललिता पार्टी की स्थाई जनरल सेक्रेटरी बनी रहेंगी।

संयुक्त एआईएडीएमके का तर्क है कि चूंकि शशिकला को हटा दिया गया है, इसलिए 26 दिसम्बर 2016 से लिए गए उनके सभी फैसले निरस्त होते हैं। इनमें शशिकला द्वारा अपने रिश्तेदार टीटीवी दिनकरन को डेप्युटी जनरल सेक्रेटरी बनाना भी शामिल है। यानी दिनकरन का कोई भी ऐलान पार्टी पर लागू नहीं होगा। हालांकि, दिनकरन ने पन्नीरसेल्वम और सीएम पलानीसामी को चुनौती दी कि अगर दोनों के पास पार्टी वर्करों का समर्थन है तो वे चुनाव में जाने की हिम्मत दिखाएं। दिनकरन ने कहा कि अधिकतर मंत्रियों को डर है कि अगर वे चुनावी मैदान में गए तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले, एआईएडीएमके के दो धड़ों पन्नीरसेल्वम और पलानीसामी गुट ने विलय का ऐलान किया था। हालांकि, इस विलय का आधार ही यही था कि शशिकला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

राहुल के तंज पर स्मृति का पलटवार

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। अमेरिका में दिए गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ने कहा कि पीएम मोदी पर तंज करना राहुल के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये भी उनकी फेल स्ट्रैटेजी का प्रतीक है। जिस देश में वो एक राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उस देश के नागरिकों द्वारा उनके इस कथन का समर्थन न प्राप्त होने के बाद वे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं।

एससी ने हटाया प्रतिबंध

दिवाली पर मजे से पटाखे फोड़ सकेंगे दिल्लीवासी

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। दीपावली पर पटाखे छोड़ने के शौकीन राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध के अपने ही पूर्व आदेश को पलटते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत तो दे दी है। लेकिन कई शर्तें भी लगा दी हैं।

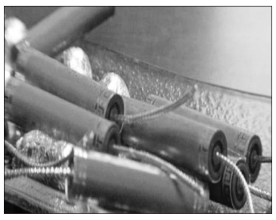

दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस आधे किए जाएं और अधिकतम 500 लाइसेंस जारी किए जाएं। 2016 में जारी लाइसेंस के मुकाबले इस बार संख्या आधी होगी। इसका मतलब साफ है कि केवल 500 दुकानों पर ही पटाखें बिकेंगे। यही नियम एनसीआर के लिए भी लागू होंगे.।

आलाकमान का नया फार्मूला

शैलजा को मिल सकती है हरियाणा की कमान

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा में नए फार्मूले के साथ आगे बढ़ने की तैयारी की है। भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी हरियाणा में जाट नेतृत्व से परहेज कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में पार्टी की कमान एक दलित के हाथों से लेकर दूसरे दलित को सौंपने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि जल्दी ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को पद से हटाकर उनकी जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा के बीच काफी समय से वर्चस्व की जंग चल रही है। हुड्डा इस बात पर अड़े थे कि राज्य में पार्टी की कमान तंवर से लेकर उनके गुट को सौंपी जाए।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

अब निकाह के समय ही 'तीन तलाक' को ना

विशेष संवाददाता

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अहम फैसला किया है। बोर्ड ने तय किया है कि अब निकाह के समय ही काजियों और धर्मगुरुओं के माध्यम से वर और वधू पक्ष के बीच यह सहमति बन जाएगी कि रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी भी सूरत में तलाक-ए-बिद्दत का सहारा नहीं लिया जाएगा। बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को हुई बैठक में इस मसले पर सहमति बनी। इसमें बोर्ड ने साफ किया कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है।

प्रद्युम्न मर्डर केस : आरोपी कंडक्टर न्यायिक हिरासत में

कोर्ट परिसर में भड़के लोग

विशेष संवाददाता

गुड़गांव। प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक को तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को सोहना कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोहना कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए आरोपी अशोक पर लोग भड़क गए और पीटने की कोशिशों के बीच काफी हंगामा हुआ। इसी बीच रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बस ड्राइवर सौरभ राघव ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि हत्या में इस्तेमाल चाकू टूल किट का हिस्सा नहीं था। सौरभ ने बातचीत में बताया कि उसकी बस के टूल किट में चाकू नहीं था। टूल किट में चाकू होने की बात कहने के लिए स्कूल मैनेजमेंट की ओर से दबाव बनाया गया था। सौरभ ने बताया, घटना के बाद उसने अशोक की शर्ट पर खून के निशान देखे थे।

इस बारे में पूछे जाने पर अशोक ने सौरभ से कहा कि वह खून से लथपथ प्रद्युम्न को कार तक लेकर गया था। इसी वजह से उसकी शर्ट पर खून लग गया। सौरभ की मानें तो अशोक से कई बार स्कूल का टॉयलेट इस्तेमाल करने को लेकर मना किया गया था, इसके बावजूद वह उस टॉयलेट में जाता था। बीते शुक्रवार गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कत्ल का इल्जाम स्कूल बस के कंडक्टर अशोक पर लगा। पुलिस पूछताछ में अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अशोक ने पुलिस को बताया कि उसने प्रद्युम्न के साथ कुकर्म करने की कोशिश की थी। नाकाम होने पर पकड़े जाने के डर से उसने प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी।

'हत्या से पहले बाथरूम में कंडक्टर को देखा था'

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में धारा 164 के तहत दो बच्चों के बयान दर्ज किए गए हैं। दोनों बच्चों ने मजिस्ट्रेट और एसआईटी टीम के सामने बताया कि उन्होंने कंडक्टर अशोक को घटना के ठीक पहले बाथरूम में देखा था। पुलिस को कुछ और जानकारियां भी मिली हैं। बच्चों के बयान के मुताबिक उस वक्त स्कूल के टॉयलेट में कुल तीन बच्चे थे। प्रद्युम्न की हत्या से पहले तीनों बच्चों ने कंडक्टर अशोक को टॉयलेट के अंदर देखा था। ये तीनों बच्चे अपनी ताइक्वांडो ड्रेस चेंज करने के लिए वहां गए थे।

'मैंने कंडक्टर को खून साफ करने से मना किया था'

गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 7 साल के मासूम बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के मामले की जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक चश्मदीद सुभाष गर्ग ने बड़ा खुलासा किया कि, मैंने कंडक्टर अशोक के कपड़ों पर खून लगा देखा था। तब मुझे लगा कि उसे कहीं चोट लगी है। जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद मैंने अशोक को खून साफ करने से मना किया था। चश्मदीद सुभाष गर्ग ने कहा कि इस वारदात के सामने आने के बाद उसने घटनास्थल पर किसी को भी जाने से रोकने की कोशिश की। साथ ही कहा कि बाथरूम को पुलिस के आने तक बंद करना चाहिए।

सीईओ रायन पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक

विशेष संवाददाता

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रायन स्कूल समूह के सीईओ रायन पिंटो की गिरफ्तारी पर बुधवार तक के लिए रोक लगा दी है। रायन पिंटो ने सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। अब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई कल होगी। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में पुलिस जल्दी ही रायन पिंटो से पूछताछ करने वाली है। ऐसे में रायन ने पहले ही कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर कर दी थी। दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर का शव आठ सितम्बर को स्कूल के शौचालय में मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। हत्या के संबंध में बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस से पूछताछ में कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल भी लिया था।

मुगल हमारे पूर्वज नहीं, लुटेरे थे, अब यही इतिहास लिखा जाएगा

उप्र के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा पाठ्यक्रम बदला जाएगा

विशेष संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सूबे में पाठ्यक्रम बदला जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुगल शासक लुटेरे थे, वो हमारे पूर्वज नहीं हैं और अब यही इतिहास लिखा जाएगा। हालांकि, अपने बयान में दिनेश शर्मा ने ये भी कहा कि मुगल शासकों ने जो अच्छे काम किए हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं। मगर हमारी संस्कृति विध्वंसक नहीं हो सकती। इतिहास को भूलने से विकृति पैदा होती है। जिन मुगल शासकों ने गलत काम किया है, हम उन्हें लुटेरा मानते हैं।

नरोदा गाम दंगा मामले में भाजपा अध्यक्ष को समन

विशेष संवाददाता

अहमदाबाद। साल 2002 के नरोदा गाम दंगा मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष एसआईटी अदालत ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को मामले में आरोपी गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी के गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया है। विशेष एसआईटी न्यायाधीश पी. बी. देसाई ने कोडनानी की अर्जी पर शाह को 18 सितम्बर को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया।

करोड़पति महिला अफसर के 20 से 25 खाते

विशेष संवाददाता

इंदौर। लोकायुक्त पुलिस ने नगर और ग्राम निवेश विभाग की एक आला अधिकारी के ठिकानों पर छापे मारकर बड़े पैमाने पर उसकी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया है।

लोकायुक्त पुलिस के एक उपाधीक्षक (डीएसपी) ने बताया कि नजदीकी देवास जिले में नगर और ग्राम निवेश विभाग में पदस्थ उप निदेशक अनीता कुरोठे के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर इंदौर में उनके तीन ठिकानों पर छापे मारे गए। महिला अधिकारी के 20-25 बैंक अकाउंट भी मिले हैं।